.यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद सं0 –22/2022 **धारा– 144 द0प्र0स0**

गरीबा साव बनाम कलीम अंसारी वगैरह

<u>आदेश</u>

.देश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
15/7/2023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद अंचल अधिकारी, चिनियॉ के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रकिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–	

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहदी			
				उ0	द0	पु0	प0
चिनियॉ	44	71	0.34 ए0	सुखलाल कोरवा	नीज	प्रति कादिम	रघुनंदन दुसाध
		73	0.24 ए0	मोती सिंह	प्रति कादिम	प्रति कादिम	प्रति कादिम
		73	0.26 ए0	सरयू साव	प्रति कादिम	प्रति कादिम	नीज
		78	0.22 ए0	नीज	प्रति कादिम	फुलाम महतो	मकान सहन
		344	0.07 ए0				
		345	0.74 ए0				

प्रथम पक्षकार का कथन है कि आवेदक गरीबा साव ग्राम चिनियॉ के खाता सं0– 44 प्लॉट संख्या कमशः 71, 73, 76, 78, 78, 344, 345 का कुल रकबा– 1.87 ए0 भूमि गत सेर्व खतियान में रैयत विपत तेली वल्द दुलारी देवी के नाम से दर्ज है। वंशावली इस प्रकार है :–

विपत तेली

लल्लू साव (मृत) — **अक्षवर साव (मृत नावल्द)**

गरीबा साव (आवेदक पथम पक्षकार) (लल्लू साव का पुत्र)

यह कि विपत तेली ग्राम– चिनियाँ के स्थाई निवासी थे तथा खाता सं० 44 प्लॉट संख्या क्रमशः 71, 73, 76, 78, 78, 344, 345 का कुल रकबा– 1.87 ए० के खतियानी रैयत थे तथा उक्त भूमि पर जीवन पर्यन्त जोत–कोड़ करते हुए दखल–कब्जे कार रहे तथा चिनियाँ गाँव में व अपनी भूमि के कब्जे में बने रहे परन्तु वे पढे लिखे व्यक्ति नहीं थे। फलतः उक्त भूमि का नामांतरण सरकार के सिरिश्ते में कराकर अपने नाम राजस्व रसीद प्राप्त नहीं कर सके। प्रथम पक्ष धीरे–धीरे ग्राम चिनियाँ से ग्राम जरही थाना डंडई में जाकर रहने लगे तथा अपना घर तथा खेती–बाड़ी की रखवाली करने के लिए अपना विश्वास योग्य व्यक्ति को इन्होने दिया तथा समय–समय पर खेती बाड़ी व देख रेख वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रथमपक्षकार ने अपनी समस्त भूमि का बटवारा अपने पुत्रों के बीच कर दिया है तथा जब आवेदक के पुत्रगण अपने–अपने नाम डिमाण्ड खुलवाने गये। अंचल अधिकारी, चिनियाँ के यहाँ गये तो पता चला कि पूर्व से उनकी जमीन का डिमाण्ड नही चलता है। अंचल अधिकारी, चिनियाँ के पत्रांक 160 दिनांक 09.05.2023 का अवलोकन किया। आवेदक गरीबा साव पिता– स्व0 ललु साव ग्राम– जरही पो0– जरही थाना– डंडई के आवेदन पत्र जाँच करने स्थल पहुँचे तो जाँच के कम में राजस्व कागजातों में वर्णित जमीन पर विपक्षीगण का दखल कब्जा है। राजस्व कागजातों के अनुसार भूमि का मांग लतिफ मियां पिता– शेखफरीदन मिया के नाम से पुराना मांग पंजी 2 के पेज सं0– 28/1 में चलता है। उक्त मांग में खाता सं0– 44 रकबा– 1.87 ए0 दर्ज है। उक्त मांग से 0.81 ए0 भूमि बिकी की गई है। बिकी की गई दाखिल खारीज केश सं0– 164/69–70 के अनुसार खाता सं0– 44 प्लॉट सं0– 344, 345 रकबा कमशः 0.07 ए0, 0.74 ए0 एवं 0.81 ए0 है। जिसका मांग मो0 मुस्तकिम पिता– एनामुलहक के नाम से अन्य भूमि के साथ पुराना मांग पंजी 2 के पेज सं0– 107/2 में चलता है। शेष भूमि खाता सं0– 44 रकबा– 1.06 ए0 लतिफ मिया पिता– शेखफरीदन मियां के नाम से दर्ज है। आवेदक गरीबा साव, पिता– स्व0 ललु साव के द्वारा गत सेर्व खतियान दिया गया है। खाता सं0– 44 प्लॉट संख्या कमशः 71, 73, 76, 78, 78, 344, 345 का कुल रकबा– 1.87 ए0 है। उक्त भूमि का गत सर्वे खतियानी रैयत विपत तेली वल्द दुबरी तेली है। आवेदक के द्वारा गत सर्वे खतियान के अलावा और कोई अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक खतियानी रैयत के पोता लगते है। हाल सर्वे रैयत लतिफ मियां पिता– फरीदन मिया साकिन चिनियाँ के खाता सं0– 246 प्लॉट सं0– 1089, 1093, 1122,1123 रकबा कमशः 0.33 ए0, 0.12 ए0, 0.21 ए0, 0.20 ए0, कुल रकबा– 0.86 ए0 चलता है। हाल सर्वे खतियानी रैयत मो0 सुल्तान पिता– अमानुलहक साकिन चिनियाँ के खाता सं0– 283 प्लॉट सं0– 1689 रकबा– 0.80ए0 भूमि पुराना रसीद हाल सर्वे रसीद व हाल सर्वे खतियान प्रस्तुत किया गया तथा रसीद विपक्षीगण का कहता है। धारा 144 द0प्र0स0 की समयावधि 60 दिन पूर्ण हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

13.10.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2023.10.13 12:56:43 +05:30
Location: 10.93.21.244